

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2014/आषाढ़ 6, 1936

No. 1354]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2014/ASADHA 6, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 जून, 2014

का. आ. 1623(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 61(अ) तारीख 9 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 9 जनवरी, 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना के अंग्रेजी पाठ में, प्रकाशन की तारीख "नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2013" प्रकाशित की गई है जिसे "नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014" पढ़ा जाए।

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू-सूरत(एक्सप्रेसवे)/एल-06/2014]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 61(अ), तारीख 9 जनवरी, 2013 द्वारा भारत राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 9 जनवरी, 2013 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th June, 2014

S.O. 1623(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (herewith referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 61 (E) dated: 9th January, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), dated : 9th January, 2013, namely :—

In the preamble of the said notification, the date of publication shown as “New Delhi, the 9th January, 2013” may be read as “New Delhi, the 9th January, 2014.

[F.No. NHAI/PIU-Surat (Expressway)/L-06/2014]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note:- The principal notification was published vide S.O. 61 (E) dated: 9th January, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 9th January, 2013.